न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 04 / 2017

बउनवान

सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारॉ जर्ये जिला पुलिस अधीक्षक महो., बारॉ (सायल)

बनाम

हसनअली उम्र 25 वर्ष पुत्र शरीफ मोहम्मद मुसलमान निवासी श्रमिक कॉलोनी बारॉ (गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान अभ्यासित अपराधी अधिनियम 1953 की धारा–3

उपस्थिति :– 1– ए.पी.पी. (सायल)
2– श्री बालमुकन्द गुर्जर अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 30.08.2019

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल हसनअली उम्र 25 वर्ष पुत्र शरीफ मोहम्मद मुसलमान निवासी श्रमिक कॉलोनी बारॉ के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक बारॉ द्वारा राजस्थान अभ्यासित अपराधी अधिनियम 1953 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारॉ जिला बारॉ ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना कोतवाली बारॉ क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। यह व्यक्ति अवैध जुआ सटटा खेलने, लडाई झगडा करने, चोरी करने आदि की अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त है। इसके विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली बारॉ में वर्ष 2008 से 2017 तक की अवधि में कुल 14 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये है। जिनके से 7 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। फिर भी इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियॉ बढती जा रही है। जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, निरन्तर बढता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियो पर कोई अंकुश नही लग रहा है। इसके विरूद्व लोग रिपोर्ट करने में कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधियॉ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नही है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित में हितकर प्रतीत नही है। कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रिया कलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। इस व्यक्ति के विरूद्व राजस्थान अभ्यासित अपराधी अधिनियम 1953 की धारा–3 के तहत विधिक कार्यवाही कर इस जिले की सीमाक्षेत्र से निष्कासित किया जावे।

माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये दण्डादेश एवं उसके द्वारा भुगत गये दण्डादेश का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	मुकदमा नम्बर	धारा	कोर्ट केस नम्बर	निर्णय दिनांक	न्यायालय का नाम / निर्णय का सारांश
1.	709 / 2011	13 आरपीजीओ	8 / 2011	20.12.2011	एजेएम बारॉ द्वारा 2 वर्ष के लिये पाबन्द किया
2.	604 / 2012	379 भादस	57 / 2014	13.3.2015	एसीजेएम बारॉ द्वारा 18 माह के साधारण कारावास व 1000 / –रू अर्थदण्ड से दण्डित किया
3.	748 / 2012	379 भादस	60 / 2014	17.3.2015	एजेएम बारॉ द्वारा 18 माह के साधारण कारावास एवं 1000 / – रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया
4.	9 / 2013	379 भादस	59 / 2014	18.3.2015	एजेएम बारॉ द्वारा 18 माह के साधारण कारावास व 1000 / – रूपये से दण्डित किया
5.	38 / 2013	379 भादस	61 / 2014	11.3.2015	एजेएम बारॉ द्वारा 18 माह के साधारण कारावास व 1000 / – रूपये से दण्डित किया
6.	103 / 2013	379 भादस	58 / 2014	3.3.2015	एसीजेएम बारॉ द्वारा 18 माह के साधारण कारावास व 1000 / – रूपये से दण्डित किया
7.	675 / 2016	13 आरपीजीओ	837 / 2016	20.3.2016	एजेएम बारॉ द्वारा 2 वर्ष के लिये पाबन्द किया

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता मे भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को कुल 7 प्रकरणों में (अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ 2 एवं धारा 379 भादस 5) प्ररकणो मे न्यायालय द्वारा दोष सिद्व भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राजस्थान अभ्यासित अपराधी अधिनियम 1953 की धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावे। इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राजस्थान अभ्यासित अपराधी अधिनियम 1953 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 19.12.2017 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओ को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की जर्ये सम्मन तलबी की गई। गैरसायल द्वारा मय अभिभाषक स्वयं उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई। गैरसायल द्वारा प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायल द्वारा जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर थाना बदर होने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर, प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करने हेतु निवेदन किये जाने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस ए.पी.पी. सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली बारॉ में वर्ष 2008 से 2017 तक की अवधि में कुल 14 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये है। जिनके से कुल 7 प्रकरणों में (अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ 2 एवं धारा 379 भादस 5) प्ररकणो मे न्यायालय द्वारा दोष सिद्व भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। फिर भी इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियॉ बढती जा रही है। जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, निरन्तर बढता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियो पर कोई अंकुश नही लग रहा है। इसके विरूद्व लोग रिपोर्ट करने में कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधियॉ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नही है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित में हितकर प्रतीत नही है। कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रिया कलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। इस व्यक्ति के विरूद्व राजस्थान अभ्यासित अपराधी अधिनियम 1953 की धारा–3 के तहत विधिक कार्यवाही कर इस जिले की सीमाक्षेत्र से निष्कासित किया जावे।

इसके विपरीत गैरसायल मय अभिभाषक उपस्थित होकर जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर थाना बदर होकर प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मैं गरीब व्यक्ति हूॅ। मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूॅ। मेरे तारीख पेशी पर आने से उस दिन की मजदूरी भी छूट जाती है। अतः मैं स्वंय की सहमति से उक्त प्रकरण का जिला बदर के स्थान पर थाना बदर होकर निस्तारण करवाना चाहता हूॅ। मेरे विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली बारॉ द्वारा अभ्यासित अपराधी की कार्यवाही इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। जिसमें जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर मुझे थाना बदर मे पुलिस थाना मॉगरोल जिला बारॉ किया जाकर प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण किया जावे। जिसमे मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नही है।

हमने ए.पी.पी. प्रथम अभियोजन पक्ष सरकार एवं गैरसायल के अभिभाषक की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखो का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र पर विचार किया गया। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली बारॉ में वर्ष 2008 से 2017 तक की अवधि में कुल 14 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये है। जिनके से कुल 7 प्रकरणों में (अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ 2 एवं धारा 379 भादस 5) प्ररकणो मे न्यायालय द्वारा दोष सिद्व भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों अनुसार यह साबित होता है कि गैरसायल हसनअली उम्र 25 वर्ष पुत्र शरीफ मोहम्मद मुसलमान निवासी श्रमिक कॉलोनी बारॉ जिला बारॉ द्वारा उक्त अपराध किए गए है। जिसके आधार पर गैरसायल अभ्यासित अपराधी अधिनियम 1953 की की धारा 2 (आ) की परिभाषा मे आना पूर्णतया सिद्व है, क्योकि धारा 2 (आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को कुल 7 प्रकरणों में (अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ 2 एवं धारा 379 भादस 5) प्ररकणो मे न्यायालय द्वारा दोष सिद्व भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है।

अतः गैरसायल हसनअली उम्र 25 वर्ष पुत्र शरीफ मोहम्मद मुसलमान निवासी श्रमिक कॉलोनी बारॉ जिला बारॉ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान अभ्यासित अपराधी अधिनियम 1953 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूॅ तथा राजस्थान अभ्यासित अपराधी अधिनियम 1953 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानो के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना कोतवाली बारॉ से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूॅ।

गैरसायल हसनअली उम्र 25 वर्ष पुत्र शरीफ मोहम्मद मुसलमान निवासी श्रमिक कॉलोनी बारॉ जिला बारॉ को राजस्थान अभ्यासित अपराधी अधिनियम 1953 की धारा–3 के तहत पुलिस थाना कोतवाली बारॉ जिला बारॉ क्षेत्र से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि मे अपनी उपस्थित प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना मॉगरोल जिला बारां को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नही करेगा, जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात इस अवधि में पूर्ण सचरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधी में भाग नही लेगा। गैरसायल न्यायालय के समक्ष 10,000/– रूपये का स्वंय का मुचलका इस अवधि मे नेकचलन रहने के संबंध मे पेश करेगा।

गैरसालय के विरूद्व यह आदेश दिनांक 16.09.2019 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना मॉगरोल जिला बारॉ को दी जावे। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारॉ जिला बारॉ को तहरीर दी जावे, जिसमे यह लिखा जावे कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना क्षेत्र कोतवाली बारॉ जिला बारॉ से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना मॉगरोल जिला बारां के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2019.09.18 16:09:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: